

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 99 / 2021 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी — बैंक ऑफ बडौदा
गांधी नगर, भीलवाड़ा

उनवान

बनाम मैसर्स टॉप टेस्टी एग्रो फूड्स प्रा. लि. —
मधुसुदन काबरा पुत्र हुकमी चन्द काबरा एवं
सुरेश काबरा पुत्र हुकमी चन्द काबरा निवासी
आराजी नं. 1184/349, 349/3, ग्राम दांता
निलावरी, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी— श्री सोराज मीणा।



निर्णय

दिनांक : 27.09.2021

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा गांधी नगर, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 125 लाख रुपये का ऋण दिनांक 26.12.2014 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति — मैसर्स टॉप टेस्टी एग्रो फूड्स प्रा. लि. की हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ मेटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स, जैसे सेमी फिनिशड गुड्स एण्ड फिनिशड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ पैकिंग मेटेरियल, आउटस्टेण्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) एवं इण्डस्ट्रीयल भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 1184/349, 349/3, ग्राम दांता निलावरी तहसील बनेडा में स्थित है, (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 6829 वर्ग मीटर) को रहन रखा गया। दिनांक 31.03.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 54,25,762.60/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 30.04.2020 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्थोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्थूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जात्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा